केन्द्रीय पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं हेतु नियम

सामान्य नियम :–

1. केन्दीय पुस्तकालय में चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत कार्यरत टीचिंग फैकल्टी, चिकित्सा अधिकारियो, कर्मचारियो व स्नातकोत्तर एवं स्नातक छात्रो के लिये केन्द्रीय पुस्तकालय के उपयोग हेतु निःशुल्क खाता खुलवाने की सुविधा उपलब्ध है।
2. केन्द्रीय पुस्तकालय में खाता खुलवाने हेतु टीचिंग फैकल्टी चिकित्सा अधिकारियो एवं स्नातकोत्तर छात्रो को संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष के माध्यम से एवं अनुशंसा के साथ अनुरोध पत्र प्रभारी अधिकारी केन्द्रीय पुस्तकालय को प्रस्तुत करना होता है।
3. Library ID Card के बिना केन्द्रीय पुस्तकालय में प्रवेश वर्जित है ।
4. केन्द्रीय पुस्तकालय में प्रवेश करते समय संधारित रजिस्टर मे प्रविष्टि करना अनिवार्य है ।
5. स्नातक छात्रो को खाता खुलवाने हेतु महाविद्यालय का परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
6. केन्द्रीय पुस्तकालय से समस्त उपलब्ध पुस्तकें (नवीन क्रय की गई पुस्तको सहित) पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं को नियमानुसार ईश्यू की जायेंगी ।
7. केन्द्रीय पुस्तकालय में पुस्तको की तीन से अधिक प्रतियां उपलब्ध होने पर ही उपयोगकर्ता को प्रदान की जायेंगी।
8. स्नातक छात्रो को अधिकतम दो पुस्तके 15 दिवस के लिये प्रदान की जायेगी एवं नियत तिथि के पश्चात वापस करने पर 01(एक)रू. प्रति पुस्तक ,प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क देय होगा।
9. स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा छात्रो को अधिकतम तीन पुस्तकें 21 दिवस के लिये प्रदान की जायेंगी एवं नियत तिथि के पश्चात वापस करने पर 02(दो)रू. प्रति पुस्तक, प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क देय होगा।
10. महाविद्यालय के संकाय सदस्यों (फैकल्टी मेम्बर्स) एवं चिकित्सा अधिकारी संवर्ग के उपयोगकर्ताओं को अधिकतम चार पुस्तकें 30 दिवस के लिये प्रदान की जायेगी एवं नियत तिथि के पश्चात वापस करने पर 05(पॅाच)रू. प्रति पुस्तक ,प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क देय होगा।
11. पुस्तक गुमने पर पुस्तक का नवीन संस्करण अथवा पुस्तक की केन्द्रीय पुस्तकालय पंजी मे दर्ज कीमत जिसमे पुस्तकालय को क्रय के समय प्राप्त छूट (Discount) की राशि सामिल कर जमा करना होगा।
12. नो–ड्यूज प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर निराकरण हेतु दो कार्यदिवस का समय लग सकता है।
13. पुस्तकालय में कार्यरत शासकीय सेवको पर पुस्तकालय की नीतियो व नियम के विरूदध पुस्तकालयीन सेवाये प्रदान करने हेतु दवाब डालने, दुर्यव्यवहार करने, चेतावनी के बावजूद लगातार पुस्तकालय में अनुशासनहीन आचरण इत्यादि के आधार पर प्रभारी अधिकारी केन्द्रीय पुस्तकालय द्वारा खाता बन्द करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
14. प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को केन्द्रीय पुस्तकालय का समय सुवह 10 बजे से शायं 05 बजे तक रहेगा ।
15. पुस्तकालय मे सभी पंजियों मे छात्रों द्वारा अपना पूरा नाम एवं कक्षा अग्रेजी के कैपिटल लेटर मे सुस्पष्ट लिखा जावे, अन्यथा पुस्तकालय की सेवाएं प्रदान किया जाना संभव नही होगा ।
16. पुस्तकालय मे दैनिक जारी पंजी मे पुस्तक वापस करते समय उपयोगकर्ता पुस्तक वापसी के हस्ताक्षर अवश्य करें, पुस्तक वापसी के हस्ताक्षर न करने पर यह माना जायेगा कि उपयोगकर्ता द्वारा पुस्तक वापस नही की गई है ।

जर्नल्स हेतु नियम :–

1. विभागीय पुस्तकालयों, स्नातक छात्रों एवं अन्य पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं को जर्नल ईश्यू नही किये जायेंगे । परन्तु पुस्तकालय मे बैठकर जर्नल्स पढने की सुविधा पूर्ववत जारी रहेगी
2. केन्द्रीय पुस्तकालय मे फेकल्टी सदस्यों एवं स्नातकोत्र मेडिकल छात्रों को एक समय मे एक जर्नल अधिकतम 07 दिवस के लिये ईश्यू किये जायेंगे । वही जर्नल दोबारा ईश्यू नही किये जायेंगे ।
3. जर्नल समय पर जमा न करने पर 05/– रू. प्रतिदिन के हिसाब से Fine जमा करना होगा ।

पी.जी. छात्रों हेतु नियम :–

1. स्नातकोत्तर छात्रो (PG Student) को थीसिस की एक प्रति केन्द्रीय पुस्तकालय मे जमा करना अनिवार्य है। केन्द्रीय पुस्तकालय मे थीसिस जमा न किये जाने पर नो–डयूज प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना सम्भव नही होगा।

कम्प्यूटर कक्ष हेतु नियम :–

1- Users allowed to use services only after legible & complete entry in register.

2- Seats will be allotted by library staff on duty.

3- Internet facility is only for academic & research purposes.

4- Browsing social or other sites, tempering with installed software, blocking system with user passwords, and unauthorized downloading is strictly prohibited & liable to strict disciplinary action.

5- Books, journals etc. are not allowed inside computer room.

6- USB devices may be used only with prior permission of I/C librarian /Dy. Librarian on duty.

7- Maximum daily usage is fixed to 02 hours to enable services to other users.

8- Users are strictly prohibited to shift/tilt monitor, CPU, furniture etc. Any physical damage or loss will be recovered from the user.

9- Internet usage is subject to national & international cyber laws and guideline from NML/NIC. Users must confirm to all such legal & statutory provisions. Any violation will be sole individual responsibility of user only.

10- First violation of above rules will be liable for 15 days suspension of membership. On subsequent repeated violations user’s membership may be withdrawn/ terminated.

11- User must verify that no unauthorized contents axe/had been down loaded by earlier users beforehand. If so, that same must be reported to staff on duty.

प्रभारी अधिकारी
केन्द्रीय पुस्तकालय
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा